

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

सुन्दरनाथ चेला बाबा चेतनाथ बनाम सरकार

किस्म मुकदमा : 88 RTA

प्रकरण संख्या 1071 / 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 26.08.2025  | <p>यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।</p> <p><i>29/9/25</i> पत्रावली पेश हुई वकील वादी / वादी उप-बधी पुन वकील वादी / वादी का बार बार रजिस्टर रजिस्टर बिना वादी या वादी का एडिटर रजिस्टर बधी वाद वादी अदम्य पोखी अदम्य हाजरी में ब्यारिज किया जाता है पत्रा पेशिखल दफतर हो।</p> <p><i>29/9/25</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>नोहर</p> |                                                     |

